International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 13-02-2022, Accepted: 28-02-2022, Published: 15-03-2022
Volume 8, Issue 2, 2022, Page No. 29-33

किशोर श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति (शिवपुरी शहर के विशेष संदर्भ में)

गौरव आर्य
महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
प्रस्तुत शोध में मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर के किशोर श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र में अन्वेषणात्मक एवं वर्णात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए फुटकर दुकानों, छोटे होटलों, ढाबों, चाय की दुकानों आदि पर कार्यरत 12–18 आयु वर्ग के 100 श्रमिकों को सर्वेक्षित किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु तथ्यों का संकलन शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची, अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन तथा अनियमित साक्षात्कार प्रविधियों के माध्यम से किया गया है। अध्ययनोपरांत यह ज्ञात हुआ कि किशोर श्रमिकों के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और वे शिक्षा से वंचित रह गए। वे बहुत कम पारिश्रमिक पर औसतन प्रतिदिन 9.8 घंटे कार्य कर रहे थे। एवं अधिक श्रम करने के बावजूद भी इनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था। इस तरह के कार्य करते हुए बहुत से किशोरों को मालिकों और सहकर्मियों की संगति ने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि के सेवन की लत लग गयी थी, जिसका दुष्प्रभाव उनकी सेहत पर दिखाई दे रहा था।

मूल शब्दः किशोर श्रमिक, असंगठित क्षेत्र, किशोरावस्था, बालश्रम

प्रस्तावना
किसी भी राष्ट्र के लिए उसके बच्चे उसकी बड़ी संपत्ति होते हैं। बच्चे ही उस देश के भविष्य के निर्माता हैं। अतः बच्चों को उस राष्ट्र का पिता कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी (ताहेर, 2006)। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक जनसंख्या प्रोस्पेक्टस 12 के अनुसार वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत में किशोरों की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 आयु वर्ग के व्यक्तियों को किशोर माना गया है। जिनकी कुल जनसंख्या 253.2 मिलियन (कुल जनसंख्या का 20.9ः अर्थात प्रत्येक पांच व्यक्ति में से एक) है (जनगणना, 2011)।
प्रस्तुत अध्ययन में किशोर श्रमिकों की इस (12–18) आयु सीमा का निर्धारण भारतीय सन्दर्भ में उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास और आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। जिसे पुनः दो वर्गों यथा 12–15 वर्ष (बाल्यावस्था) एवं 15–18 वर्ष (किशोरावस्था) में विभाजित किया गया है। यह आयु सीमा विभिन्न भारतीय अधिनियमों में क्रमशः बच्चों एवं युवाओं के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के रूप में स्वीकृत है।
किशोरावस्था एक संक्रमण अवस्था है, जो बाल्यावस्था एवं युवावस्था के मध्य आती है। अलग–अलग देशों में किशोरावस्था की आयु के संदर्भ में मत भिन्नताएं देखने को मिलती है। कुछ देशों में किशोरावस्था की आरंभिक आयु 12 वर्ष (जमैका में) से 18 वर्ष (बांग्लादेश में) के मध्य पाई जाती है। तो वहीं इसकी समाप्ति अथवा अंतिम आयु सीमा 24 वर्ष (जमैका में) से लेकर 35 व 40 वर्ष (बांग्लादेश व पाकिस्तान में) के मध्य तक पाई जाती है (कुमार, 2014)। भारतीय संदर्भ में भी भारतीय जनगणना में किशोरों को 10–19 वर्ष के आयु वर्ग में परिभाषित किया गया है। जबकि भारत सरकार की ही राष्ट्रीय युवा नीति में उन्हें 13–19 वर्ष के आयु वर्ग के रूप में दर्शाया गया है। किशोरावस्था की आरंभिक एवं अंतिम आयु सीमा निर्धारण के संदर्भ में सदैव समस्त विश्व के कानून विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञानियों के मध्य विवाद रहा है। अतः जनगणना एवं सांख्यिकी के उद्देश्यों के लिए अभी तक वैश्विक स्तर पर किशोरावस्था की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं पाई जाती है।
किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का समयकाल है ना कि कोई एक निश्चित समयावधि। इसका आरंभ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग–अलग समय पर होता है। किशोरावस्था एक बालक के परिपक्व होने की अवधि होती है। इस समयावधि में उसकी आवश्यकताएं बहुत तेज़ी से बदलने लगती है और शारीरिक एवं मानसिक विकास में नित नए परिवर्तन आते हैं – विभिन्न प्रकार की भावनाओं एवं कल्पनाओं के विकास की शुरुआत होती है –– जिसके माध्यम से वह नए एवं उच्च आदर्शों का चुनाव करता है (खान, 2009)। सामान्य शब्दों में कहें तो किशोरावस्था में ही उसके पूरे भविष्य की रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। परंतु पारिवारिक आर्थिक तंगी, शिक्षा से दूरी आदि उसे इस सुकुमार आयु में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए विवश कर देती है। इस अध्ययन में ऐसे ही किशोर श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य
इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं –
1. किशोर श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का पता लगाना।
2. किशोर श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में लाने वाले कारको को पहचानना।

3. किशोर श्रमिकों के कार्यस्थल की परिस्थितयों को जानने का प्रयास करना।
4. किशोर श्रम उन्मूलन के लिए सुझाव देना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध की प्रकृति अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों को साक्षात्कार–अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनियमित प्रविधियों के माध्यम से संकलित किया गया है एवं द्वितीयक तथ्यों के लिए शोध पत्रों, समाचार पत्रों–पत्रिकाओं, संबंधित पुस्तकों, प्रतिवेदनों तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध–प्रबंधों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन के प्रमुख उपकरण साक्षात्कार अनुसूची के प्रयोग के साथ–साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार, अवलोकन तथा अनियमित साक्षात्कार प्रविधियों का भी प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में समग्र शिवपुरी नगर का असंगठित क्षेत्र सम्मिलित है; जिसमें फुटकर दुकानों, छोटे होटलों, ढाबों, मरम्मत (रिपेयरिंग) की दुकानों आदि पर कार्यरत किशोरों को सम्मिलित किया गया है। व्यवसायों के चयन का प्रमुख आधारउनका लघु स्वरूप, निम्न तकनीकी का प्रयोग, श्रमिक व न्योक्ता के मध्य बिचौलियों की भूमिका आदि था।

समग्र की आधिकारिक जानकारी के अभाव के कारण प्रतिदर्श के चयन का आधार "स्क्वायर ग्रिड पद्धति" है। जिसमें शिवपुरी नगर के भूभाग को ग्रिड्स में विभाजित करके उन्हें क्रम से एक के बाद दुसरे ग्रिड का चयन कर उसमें आने वाले व्यवसायो में कार्यरत 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। किशोरों की यह न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा (12–18 वर्ष) को विभिन्न भारतीय अधिनियमों जैसे भारतीय संविधान, चिलड्रन एक्ट 1933, एमप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938, फैक्ट्री एक्ट 1948 आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गयी है। जिसे पुनः दो वर्गों यथा 12–15 वर्ष एवं 15–18 वर्ष में विभाजित किया गया है। ताकि विश्लेषण को अधिक सुगम बनाया जा सके और बाल श्रमिक व किशोर श्रमिक के मध्य की गतिकी को अधिक बेहतर तरीके से समझा जा सके।

आंकड़ों का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन को अधिक उपयोगी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया हैं।

सारणी 1: आंकड़ों का विश्लेषण

मापदंड	कुल उत्तरदाता	विभाजन				χ^2 मान / प्रतिशत
		चर	12–15 आयु वर्ग	15–18 आयु वर्ग	कुल	
आयु	100		38	62	100	प्रतिशत'
शिक्षा	100	अशिक्षित	6	3	9	χ^2 मान 4.52
		साक्षर	0	2	2	
		शिक्षित	32	57	89	
धर्म	100	हिन्दू	26	54	80	प्रतिशत'
		मुस्लिम	12	8	20	
		अन्य	0	0	0	
परिवार की प्रकृति	100	संयुक्त परिवार	6	12	18	χ^2 मान 0.20
		एकाकी परिवार	32	50	82	
परिवार की कुल मासिक आय	100	5000 – 10,000	14	29	43	χ^2मान 8.90
		10,000 – 15,000	22	27	49	
		15,000 – 20,000	2	3	5	
		20,000 से अधिक	0	3	3	
कार्य की प्रकृति	100	मजदूरी	0	15	15	प्रतिशत'
		मेकैनिक शॉप	7	10	17	
		दुकानों पर कार्य	22	31	53	
		अंशकालिक कार्य (पार्ट टाइम वर्क)	9	6	15	
कार्य में प्रवेश का माध्यम	100	स्वयं आये	7	30	37	प्रतिशत'
		अभिभावक के द्वारा	14	10	24	
		मित्रों द्वारा	19	31	50	
		मालिक के द्वारा	3	3	6	
कार्य करने का कारण ?	100	परिवार को अधिक धन की आवश्यकता	35	48	83	प्रतिशत'
		माता – पिता कार्य करने में असमर्थ	1	7	8	
		पढ़ाई में मन नहीं	7	10	17	
		पैसे कमाने थे	4	10	14	
कार्य करने की अवधि	100	0 दृ 6 माह	5	5	10	χ^2 मान 8.90
		6 माह दृ 1 वर्ष	7	6	13	

		1 वर्ष दृ 2 वर्ष	19	18	37	
		2 वर्ष से अधिक	7	33	40	
मासिक वेतन	100	1500 से कम	5	2	7	प्रतिशत'
		1500–2500	6	4	10	
		2500–3500	16	13	29	
		3500–4500	11	23	34	
		4500 से अधिक	0	20	20	
वेतन का उपयोग	100	स्वयं की जरूरतों पर	38	61	99	$\chi 2$ मान 22.71
		घर में देते हैं	31	55	86	
		दैनिक वेतन	20	31	51	
		मासिक वेतन	18	36	54	
कार्य के घंटे	100	4 – 6 घंटा	1	4	5	प्रतिशत'
		6 – 8 घंटा	1	6	7	
		8 – 10 घंटा	24	19	43	
		10 –12 घंटा	08	27	35	
		12 घंटे से अधिक	4	6	10	
कार्य के मध्य अंतराल	100	हाँ	36	49	85	प्रतिशत'
		नहीं	2	13	15	
साप्ताहिक कार्य दिवस	100	6 दिन	7	22	29	$\chi 2$ मान 11.57
		7 दिन	31	40	71	
अवकाश	100	सिर्फ त्योहारों पर	34	55	89	प्रतिशत'
		कभी मांगने पर	15	18	33	
		मालिक की मर्जी पर	1	7	8	
वेतन में वृद्धि	100	हाँ	20	37	57	प्रतिशत'
		नहीं	18	25	43	
क्या यह कार्य अच्छा लगता है ?	100	हाँ	26	36	62	प्रतिशत'
		नहीं	7	15	22	
		पता नहीं	5	11	16	
अतिरिक्त कार्य के पैसे मिलते हैं ?	100	हाँ	0	3	3	प्रतिशत'
		नहीं	38	59	97	
कार्य छोड़ने का मन करता है ?	100	हाँ	5	27	32	प्रतिशत'
		नहीं	33	35	68	
नशीले पदार्थों का सेवन ?	100	हाँ	20	33	53	प्रतिशत'
		नहीं	18	29	47	

- प्रस्तुत शोध के लिए 100 किशोर श्रमिकों का चयन किया गया है। जिन्हें दो आयु वर्गो क्रमशः 12–15 वर्ष, जिसमें 38 उत्तरदाता है एवं 15–18 वर्ष, जिसमें 62 उत्तरदाता है, में विभाजित किया गया है। उत्तरदाताओं की औसत आयु 15.58 वर्ष है। इस अध्ययन में उन किशोर श्रमिकों को ही शामिल किया गया है, जो 12 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर चुके थे परंतु 18 वर्ष की आयु से कम थे।
- उपर्युक्त सारणी के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में अधिकांश लगभग 90.00 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित थे। जबकि मात्र 9.00 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित एवं 1.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही साक्षर थे। यहां साक्षर से तात्पर्य उत्तरदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर कर लेने एवं थोड़ा बहुत पढ़ने में सक्षम होने से है।
  उत्तरदाताओं से परिचर्चा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी या सिर्फ नाम के लिए ही पढ़ रहे थे। पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण परिवार में व्याप्त गरीबी था। परिणास्वरूप अधिकांश को उनके अभिभावकों द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने हेतु भेजा गया एवं कुछ स्वयं की मर्जी से इस क्षेत्र में आये क्योंकि उन्हें पैसे कमाने की चाह थी। काई–वर्ग का मान ($\chi 2 = 4.52$, $df = 2$; $p<0.05$) दर्शाता है कि उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं उनके द्वारा चुने गए श्रम क्षेत्र में सार्थक अंतर नहीं है। अत प्रतिशत यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि किशोर श्रमिको की शिक्षा एवं उनके श्रम क्षेत्र में अंतर है।
- सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 80.00 हिन्दू धर्म के एवं 20.00 प्रतिशत इस्लाम मतावलंबी थे। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी उत्तरदाता किसी अन्य धर्म यथा सिख, इसाई, जैन या बौद्ध का अनुयायी नहीं पाया गया।
- सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश 85.00 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार में ही निवासरत थे।
- उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 90.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों की मासिक आय ₹10,000 कम ही पायी गयी। जबकि मात्र 3.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय ही ₹20,000 से अधिक थी। यहां परिवार की मासिक आय के संदर्भ में दर्शाए गए आंकड़ों में उत्तरदाता की आय भी सम्मिलित है। सर्वेक्षित सभी उत्तरदाताओं के परिवार की औसत मासिक आय ₹10,900 पायी गयी। प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त काई–वर्ग का मान ($\chi 2 = 8.90$,

df = 3; $p<0.05$) दर्शाता है कि परिवार की मासिक आय एवं किशोर श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के मध्य सार्थक सम्बन्ध है। निष्कर्षतः परिवार की मासिक आय कम होने पर किशोरों द्वारा मजबूरीवश सवैतनिक श्रम किया जाता है।

- सर्वेक्षण के दौरान किशोर श्रमिकों को भिन्न–भिन्न कार्यस्थलों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न पाया गया, जिसे अध्ययन की सरलता के लिए 4 वर्गो में विभाजित किया गया है। जिसमें दुकानों पर कार्य करने वालों में चाय की दुकान, होटल, ढाबा आदि, मजदूरी में बेलदारी–पल्लेदारी, गोदाम और वेयर हाउस का कार्य, मेकैनिक शॉप में इलेक्ट्रीशियन, मोटर बाइंडिंग, मशीनी कार्य आदि, कौशल संबंधी कार्यों में फर्नीचर शॉप, टेलरी, आदि कार्यस्थलों पर श्रम करने वालों को सम्मिलित किया गया है।
  उपर्युक्त सारणी का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 12–15 एवं 15–18 आयु वर्ग के क्रमशः सर्वाधिक 58.00 प्रतिशत एवं 50.00 प्रतिशत किशोर श्रमिक दुकानों पर कार्यरत थे। जबकि मजदूरी एवं अस्थाई कार्य करने वाले किशोर श्रमिक सबसे कम (15–15 प्रतिशत) पाए गए। चूँकि मजदूरी अत्यधिक शारीरिक श्रम का कार्य है, अतः इसमें 12–15 आयु वर्ग का कोई भी किशोर श्रमिक नहीं पाया गया।
- अधिकांश 43.00 प्रतिशत किशोर श्रमिक को उनके मित्रों में तत्कालीन कार्य के सम्बन्ध में सूचना दी। जबकि 32.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों ने स्वयं ही कार्य ढूंढा था। 21.00 प्रतिशत किशोरों को उनके अभिभावकों द्वारा कार्य पर लगवाया गया एवं 5.00 प्रतिशत किशोरों को उनके नियोक्ता द्वारा ही अपने साथ कार्य करने के लिए लेकर गए।
- सर्वाधिक लगभग 68 प्रतिशत किशोर श्रमिक इसलिए असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे थे क्योंकि उनके परिवार को अधिक धन की आवश्यकता थी। जबकि लगभग 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पढ़ाई में मन ना लगने के कारण कार्य कर रहे थे एवं 14.00 प्रतिशत किशोर सिर्फ इसलिए कार्य कर रहे थे क्योंकि उनके माता– पिता कार्य करने में असमर्थ थे। 11.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों पैसा कमाने की चाह के कारण भी कार्य कर रहे थे। प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त काई–वर्ग का मान ($\chi 2 = 8.90$, df = 3 ; $p<0.05$) दर्शाता है कि किशोर श्रमिकों द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य और उसके पीछे रहे कारणों के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- किशोर श्रमिकों से उनके असंगठित क्षेत्र में कार्य करने की अवधि के सन्दर्भ में पुछा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 40. 00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को दो वर्ष से अधिक समय कार्य में संलग्न हुए गुज़र गया था। जबकि 37.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 1–2 वर्ष का ही समय हुआ था। एवं 23.00 प्रतिशत को कार्य करते हुए एक वर्ष से कम समय ही हुआ था।
  अभी तक हुए विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य सामने आया है कि कम आयु के बच्चों को अनुभव में कमी एवं दुर्बल शारीरक क्षमता होने के कारण उन्हें कम मासिक वेतन पर रोजगार दिया जाता है बच्चे कम अनुभवी एवं दुर्बल शारीरिक क्षमता होने के कारण, उन्हें कम मासिक वेतन पर रोजगार दिया जाता है। एवं आयु में वृद्धि के साथ–साथ वेतन में भी वृद्धि होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि किशोरावस्था के दौरान असंगठित क्षेत्र में कार्यरत किशोर श्रमिकों की आयु एवं उन्हें प्राप्त वेतन में समानुपातिक संबंध (आयु $\propto$ वेतन) पाया जाता है।
- सारणी में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 34.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को ₹3501–₹4500 वेतन प्राप्त होता था। ₹1500 से कम मासिक वेतन 7.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को, ₹1501–₹2500 वेतन 10.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को, ₹2501–₹3500 वेतन 29.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को एवं ₹4501 से अधिक वेतन केवल 15–18 आयु वर्ग के 20 किशोर श्रमिकों को ही प्राप्त होता था। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं का औसत मासिक वेतन ₹3500 पाया गया। प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त काई–वर्ग का मान ($\chi 2 = 22.71$, df = 4; $p<0.05$) दर्शाता है कि किशोर श्रमिकों को प्राप्त हो रहे वेतन एवं उनकी आयु के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
- सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश किशोर श्रमिक ऐसे थे जो अपना वेतन घर में भी देते थे एवं अपनी जरूरतों पर भी खर्च करते थे। 46.00 प्रतिशत किशोर श्रमिक अपने वेतन में से कुछ पैसे घर में देते थे एवं 54.00 प्रतिशत किशोर श्रमिक अपने वेतन को अपनी जरूरतों पर खर्च करते थे। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में कोई भी किशोर श्रमिक वेतन कम होने की वजह से भविष्य के लिए पैसे नहीं बचा पाता था।
- किशोर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान प्रचलित पद्धति (दैनिक या मासिक) के रूप में ही किया जाता था। सर्वेक्षित 51.00 प्रतिशत उत्तरदाता मासिक वेतन प्राप्त करते थे तो 49.00 प्रतिशत दैनिक वेतन। इनमें कुछ उत्तरदाता ऐसे भी थे जो कभी दैनिक तो कभी मासिक वेतन प्राप्त करते थे।
- असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां कार्य अवधि निश्चित नहीं होती। किशोर श्रमिकों से मनमाने तौर पर कार्य करवाया जाता एवं उनको पारिश्रमिक भी किसी निश्चित पैमाने के आधार पर नहीं दिया जाता। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में अधिकांश 43.00 प्रतिशत किशोर श्रमिक प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक कार्य करते थे। तो वहीं 12.00 प्रतिशत किशोर श्रमिक ऐसे भी थे जो कार्यस्थल पर ही रहते थे एवं प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक कार्य करते थे। 35.00 प्रतिशत उत्तरदाता 10–12 घंटे एवं 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता 4–8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे। प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त काई–वर्ग का मान ($\chi 2 = 8.90$, df = 3 ($p<0.05$) दर्शाता है कि किशोर श्रमिकों की आयु का उनके कार्य के घंटों के साथ सार्थक संबंध है।
- सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में अधिकांश लगभग 85.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को कार्य के मध्य अंतराल मिलता था। जबकि शेष को उत्तरदाताओं के साथ ऐसा नहीं था।
- भारत में असंगठित क्षेत्र में प्रचलित साप्ताहिक कार्यदिवस पद्धति के अनुरूप ही सर्वेक्षण के दौरान किशोर श्रमिकों को कार्य दिया जाता था। अध्ययन के दौरान 71.00 प्रतिशत उत्तरदाता पूरे सप्ताह कार्य करते थे तथ शेष को या तो अवैतनिक अवकाश मिलता था या उनके कार्य का स्वरुप पार्ट टाइम होने के कारण अवकाश स्पष्ट नहीं था। सर्वेक्षित किशोर श्रमिकों में 68.00 प्रतिशत को सिर्फ त्योहारों पर ही अवकाश मिलता था। 25.00 प्रतिशत को अवकाश मांगने पर मिल जाता है एवं 6.00 प्रतिशत को अवकाश मालिक की मर्ज़ी पर निर्भर करता है

- असंगठित क्षेत्र में वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि का कोई निश्चित पैमाना अभी तक निर्धारित नही है। यह नियोक्ता अथवा मालिक की मर्ज़ी पर निर्भर होता है या फिर उस स्थान विशेष के बाजार द्वारा निर्धारित होता है। सर्वेक्षण के दौरान 12–15 आयु वर्ग के 53.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के वेतन में वृद्धि देखी गई जबकि 15–18 आयु वर्ग में 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के वेतन में वृद्धि की गई थी।
- सर्वेक्षित उत्तरदाताओं से जब उनके कार्य की पसंद–नापसंद के सम्बन्ध में पुछा गया, तो यह पाया गया कि लगभग 65.00 प्रतिशत किशोर श्रमिकों को अपना कार्य पसंद था। जबकि लगभग 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपने कार्य से संतुष्ट नहीं थे। जिसके मुख्य कारण निम्न मासिक वेतन होना, अवकाश न मिलना, कार्य अधिक करवाना आदि रहे हैं। एवं 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपने कार्य को लेकर संशय की स्थिति थे।
- सर्वेक्षण के दौरान सर्वाधिक 97.00प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाए गए जिनको अतिरिक्त कार्य करने के पैसे नहीं मिलते थे एवं शेष को कार्य के दौरान अतिरिक्त पैसे मिल जाते थे।
- अधिकांश 68.00 प्रतिशत उत्तरदाता अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसका कारण उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक कमजोरी को बताया। अत प्रतिशत यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कार्य करना उनकी मजबूरी थी, ना कि उनका शौक। शेष 32.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि यदि उससे अधिक अच्छा कार्य मिले तो वे अपने वर्तमान कार्य को छोड़ देंगे।
- असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों में नशीले पदार्थों जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटका आदि का सेवन करना आम बात हो गया है। यह बेहद चिंता का विषय है कि किशोर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि लगभग 55.00 प्रतिशत उत्तरदाता नशीले पदार्थों का सेवन करते थे एवं शेष उत्तरदाता इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे थे एवं अध्ययनकर्ता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उनकी देहयष्टि उपरी तौर दुर्बल दिखयी दे रही थी। उनमें कुछ के व्यवहार से यह प्रतीत हुआ कि उन्होंने नशीले पदार्थों के सेवन के संबंध में भ्रमित किया था।

निष्कर्ष एवं सुझाव

मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के किशोर श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संदर्भ में किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अधिकांश किशोर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त होना, समय से अधिक कार्य करना, अवकाश ना मिलना, अस्पष्ट वेतन वृद्धि, अतिरिक्त कार्य करने के पैसे ना मिलना आदि समस्या होने के बावजूद भी वे अपने कार्य से संतुष्ट थे। उनकी संतुष्टि का कारण उनके परिवार को अधिक धन की आवश्यकता थी तो वहीं कुछ के माता पिता द्वारा कार्य करने की असमर्थता। इस कार्यस्थल पर ही ज्यादातर किशोर श्रमिकों को नशाखोरी की लत भी लग जाती है। जिसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर कार्य करना चाहिए एवं जनमानस में पहल कर जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। यदि केंद्र एवं राज्य सरकार इन किशोरों के लिए आवासीय विद्यालय बनवा कर उन्हें शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दे एवं उनसे कुछ सवैतनिक कार्य करवा कर उनकी मौद्रिक सहायता करे तो किशोरों के असंगठित क्षेत्र में हो रहे शोषण को रोका जा सकता है और वे राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. खान, अयूब एवं सुमिता अयूब (2009), *फीमेल एडोलेसेंट वर्कर – फेसलैस एंड फेटलैस,* अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. ताहेर एम.ए. (2006), *चाइल्ड लेबर इन ढाका सिटी; डाईमेनशंस एंड इम्प्लीकेशंस,* संगाती प्रिंटर्स, ढाका।
3. खान, अयूब (1993), *ए साईको सोशल स्टडी ऑफ़ मेल एडोलसेंट वर्कर्स इन द अनओर्गेनाईज़ड सेक्टर : विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्रेटर ग्वालियर, म.प्र., अनपब्लिशड* थीसिस, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.।
4. कुमार, संजय (2014), *साइज़, ग्रोथ एंड कम्पोजीशन ऑफ़ एडोलसेंट एंड यूथ पापुलेशन इन इंडिया,* विज्ञान भवन, नई दिल्ली।
5. अहमद, इ. (1999, जुलाई 03), *गैटिंग रिड ऑफ़ चाइल्ड लेबर, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली,* वॉल्यूम.34, इशू –27।
6. आई.एल.ओ. (2013), *फोकस ओन चाइल्ड एंड एडोलसेंट डोमेस्टिक वर्कर इन देल्ही एंड रांची, इंडिया,* इंटरनेशनल प्रोग्राम ओन द एलिमिनेशन ऑफ़ चाइल्ड लेबर, आई.एल.ओ।
7. दासगुप्ता, ए. एवं सेन, आर. के. (2003), *प्रोब्लेम्स ऑफ़ चाइल्ड लेबर इन इंडिया,* दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. ओयेबामीजी, ओ. (2020), *चाइल्ड लेबर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी,* ऐज यूनिवर्सिटी, टर्की।
9. तन्वने सरकार, राणा रॉय, रकीबुल हसन एवं मितु चौधरी (2016, अगस्त), *सोशियो इकोनोमिक स्टेटस ऑफ़ चाइल्ड बैगर्स इन सिलहट सिटी, बांग्लादेश,* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इनफार्मेशन रिसर्च एंड रिव्यु, वॉल्यूम–03, इशू –08, पृष्ट सं.– 2695–2700।
10. बरुआह, अरुणिमा (जनवरी 2003), *चाइल्ड एब्यूज,* ईएसएस ईएसएस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
11. ब्रिक, कैथरीन पें. (2002), *स्ट्रीट चिल्ड्रेन, ह्यूमन राईट एंड पब्लिक हेल्थ : ए क्रिटिक एंड फ्यूचर डायरेक्शन,* एनुअल रिव्यु ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी।
12. महंती, नीति. (2005), *एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन ऑफ़ रैग पिकर्स चिल्ड्रेन्स इन सीमापुरी : ए ड्रीम कम ट्रू,* इंटर इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
13. साहू, यू.सी. (1995), *चाइल्ड लेबर इन अग्रीरियन सोसाइटी,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर । भारतीय जनगणना, 2011।